सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
**Ministry of Environment, Forests & Climate Change**
**Regional Office (Central Region)**

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

**पत्र सं0 8बी/यू.पी./07/05/2015/एफ.सी.** /1741

**दिनॉक: 05.03.2015**
09

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय : गाजियाबाद में एन0एच0–91 किमी0 09 से 19 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक) मैट्रो रेल के निर्माण हेतु 0.2107 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 42 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

**सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक– 1475/ऑनलाईन–गाजियाबाद, यू0पी0–08/2014, दिनांक– 12.02.15**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करना है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–84,85,86 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
2. ऑनलाईन अपलोडिंग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना को अपलोड नही किया गया था। अतः उक्त को Online upload किया जाए।
3. लैण्ड शेयड्यूल में वन भूमि गणना त्रुटिपूर्ण है। सही गणना के अनुसार वन भूमि की वास्तविक आवश्यकता 0.2108 है0 है जबकि प्रस्ताव में 0.2107 दिया गया है। इसे सही करें।
4. पृष्ठ संख्या–12 मद संख्या–5 में प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावित वन भूमि के लिए वर्किंग प्लान प्रेसकिप्सन में "हॉ" है लिखा गया है। इसमें प्रेसकिप्सन का विवरण आना है।
5. पृष्ठ संख्या–21 पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवाएं।
6. पृष्ठ संख्या– 22 पर संलग्न डिजीटल मानचित्र में अक्षांश एवं देशान्तर नही दर्शाया गया है। मानचित्र को सही रूप में प्रस्तुत करें।
7. पृष्ठ संख्या–23 शहीद नगर मैट्रो स्टेशन दर्शाया गया है, इसका क्या तात्पर्य है। स्पष्ट करें।
8. पृष्ठ संख्या–29 पर drawing पृष्ठ 99 में संलग्न बताया गया है जबकि पृष्ठ 99 में drawing संलग्न नही पाया गया है। इसे स्पष्ट करें।
9. पृष्ठ संख्या–89 में स्थल निरिक्षण आख्या बगैर संस्तुति के प्रेषित किय गया है। निरिक्षण आख्या में संस्तुति करवाएं।
10. पृष्ठ संख्या– 90 वनाधिकार प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी ने हस्ताक्षर किया है एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। मूल हस्ताक्षरित जिलाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसे जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करें तथा सभी संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करें।
11. KML File में अक्षांश एवं देशान्तर नही दर्शाया गया है। इसे दर्शातें हुए प्रस्तुत करें।
12. पृष्ठ संख्या–104 में वन भूमि को दर्शाया नही गया है। इसे दर्शाएं।
13. पृष्ठ संख्या–105 पर जो मानचित्र संलग्न किया गया है, इससे प्रस्ताव से संबंधित कोई जानकारी नही मिलती है।
14. जो सी0डी0 भेजा गया है उसमें KML फाइल नही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को जॉचा नही गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें ।

प्राप्त प्रस्ताव संशोधित करने हेतु मूल रूप में वापस किया जाता है।

**संलग्नक– मूल प्रस्ताव**

**भवदीय,**

**(डी0पी0 सिन्हा)**
**अति0 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0)**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—**

1. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
3. श्री चक्रेश जैन, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
4. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

5.3.15

(डी0पी0 सिन्हा)
अति0 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0)